"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014— आषाढ 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर – 492001

दूरभाष क्र. 0771–4073553, फैक्स 0771–2445857

वेब साइटः www.cserc.gov.in, ई मेलः cserc.sec.cg@nic.in

रायपुर, दिनांक 15/07/2014

क्र. 60/सी.एस.ई.आर.सी./2014– छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 50 और धारा 181 (2)(टी) सहपठित 181(2)(ऐक्स) और धारा 43 (1), 46, 47(1) और 47(4) सहपठित धारा 181 (1), 181 (2)(व्ही) और 181 (2)(डब्लयू) के अधीन **"छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011"** अधिसूचित किया गया था। उक्त प्रदाय संहिता के प्रावधानों को लागू करने में अनुभव की जाने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सुझावों और उक्त संहिता के खण्ड 1.6 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर उक्त संहिता में कतिपय संशोधन आवश्यक हो गए थे।

अतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 1.10 के अधीन प्राप्त शक्तियों प्रयोग करते हुये और उक्त संहिता के खण्ड 1.6 के अधीन गठित विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं,

तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सुझावों एवं टीकाओं पर विचार करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता हैः–

1. लघु शीर्ष, परिभाषाएं और प्रारंभः–

(i) यह संहिता ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013'' कहलाएंगे।

(ii) यह 01 जनवरी, 2014 से प्रभावशील होगी।

(iii) उन सभी प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जैसा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 (एतस्मिन पश्चात मूल संहिता के रूप में संदर्भित) में दिया गया है।

2. मूल संहिता के खण्ड 3.4 को ''उपभोक्ताओं को प्रदाय का वोल्टेज'' से प्रतिस्थापित किया गया है।

3.4 प्रदाय वोल्टेजवार न्युनतम एवं अधिकतम संविदा मांग सामान्यतः निम्नानुसार होगा–

प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	.	3 कि.वाट
400 वोल्ट	3 कि.वॉट से अधिक	100 एच.पी. अथवा 75 कि.वाट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए.	500 के.व्ही. ए.
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए.	15000 के.व्ही.ए.
132 के.व्ही.	4000 के.व्ही.ए.	40000 के.व्ही.ए.
220 के.व्ही.	15000 के.व्ही.।	150000 ज्ञट।

परन्तु, तकनीकी कारणों से आयोग, उपर्युक्त प्रावधान को अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर शिथिल कर सकेगा। ऐसे उच्चदाब और अतिउच्चदाब उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग उपर्युक्त प्रावधानित अधिकतम सीमा से अधिक है, से आयोग के सुसंगत टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट प्रभार वसूल किए जाएंगे।

3. मूल संहिता के खण्ड 4.41 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है–

उच्चदाब/अति उच्चदाब पर विद्युत के प्रदाय हेतु कोई आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, 05 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता को आवेदित प्रदाय की व्यवहार्यता के

परीक्षण हेतु स्थल निरीक्षण की लिखित सूचना देगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। उस दशा में जहॉ अति उच्चदाब पर प्रदाय/अति उच्चदाब वोल्टेज पर संयोजकता हेतु उपकेन्द्र की आवश्यकता हो, आवेदक को संयोजकता के लिए पारेषण कम्पनी को आवेदन की प्रतिलिपि साथ में प्रस्तुत करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयुक्त परीक्षण सम्पन्न कराया जाएगा। और उनके प्रदाय की व्यवहार्यता का परीक्षण, टेक ऑफ बिन्दु का निश्चिय, प्रदायकर्ता की लाईन से आगम बिन्दु, मीटर की स्थिति, मीटर उपकरण और प्रदायकर्ता के अन्य उपकरणों की जॉच की जाएगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति से 30 कार्य दिवस के भीतर संयोजकता की व्यवहार्यता अथवा अन्यथा स्थिति की सूचना दी जाएगी और व्यवहार्यता प्रतिवेदन जारी करने के 60 दिवस के भीतर अनुमान स्वीकृति के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मांग पत्र जारी करेगा और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भेज देगा। वितरण कम्पनी भार की स्वीकृति देगी, और सुरक्षानिधि जमा कराने और अनुबंध के निष्पादन के लिए मांग पत्र जारी करेगी।

तथापि खण्ड 4.58 में विहित विभिन्न गतिविधियों के लिए विहित समयसीमा का संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

4. मूल संहिता का खण्ड 4.51 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है;

निम्नदाब संयोजनों हेतु पंखे और लाईट भार का मूल्यांकनः

(अ) किसी भवन/भवनों के समूल अथवा बहु–उपभोक्ता संकुल के भार–मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाएं जाएंगेः–

(i) आवासीय उपयोग–

(क) निम्नलिखित के प्रत्येक 250 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल या उसके किसी भाग के लिए

(i)	नगर निगम	1 किलोवॉट
(ii)	नगर पालिका	0.75 किलोवॉट

(ख) निम्नलिखित के प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल या उसके किसी भाग के लिए–

(i) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत 0.5 किलोवॉट

(ii) गैर आवासीय उपयोग–

(क) निम्नलिखित के प्रत्येक 200 वर्गफीट क्षेत्रफल या उसके किसी भाग के लिए

(i) नगर निगम 1 किलो वाट

(ii) नगर पालिका 0.75 किलो वाट

(iii) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत 0.50 किलो वाट

(ख) शेड/भंडारगृह/विद्यालय/धर्मशाला/भांडारगार हेतु निम्नलिखित के 1000 वर्गफीट या उसके किसी भाग के लिए: –1 किलो वाट

(ब) आवासीय कॉलोनी में किसी आवासीय कॉलोनी और गैर–रिहायशी भूखण्डों के भार मूल्यांकन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाएं जाएंगे–

(i) रिहायशी कॉलोनियों के लिए:

(क) निम्नलिखित के प्रत्येक 300 वर्गफीट भूखंड क्षेत्रफल और उसके किसी भाग के लिए:

(i) नगर निगम – 1 किलो वाट

(ii) नगर पालिका – 0.75 किलो वाट

(ख) भूखण्ड के प्रत्येक 500 वर्गफीट अथवा उसके किसी भाग के लिए–

(i) नगर निगम/ग्राम पंचायत 0.50 किलोवॉट

(ii) गैर आवासीय भूखण्डों के लिए–

भूखण्ड के क्षेत्रफल के प्रत्येक 200 वर्गफीट या उसके किसी भाग के लिए–

(i) नगर निगम 1 किलोवॉट

(ii) नगर पालिका 0.75 किलोवॉट

(iii) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत 0.50 किलोवॉट

टिप्पणी:

(i) भार–मूल्यांकन के उपर्युक्त मानदण्ड वहॉ प्रयोज्य नहीं होंगे जहॉ उपभोक्ता मांग–आधार टैरिफ संयोजन के लिए आवेदन करता हैं ।

(ii) भार का मूल्यांकन आवासीय कॉलोनी/बहु उपभोक्ता संकुल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।

(iii) लिफ्ट (उद्वाहक), जल–पम्प, सड़क बत्ती आदि सामान्य सुविधाओ का भार विकासकर्ता/निर्माता/सोसाइटी/उपभोक्ता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार होगा।

(iv) भार के प्राक्कलण की उपर्युक्त प्रक्रिया, भार के मूल्यांकन में एकरूपता लाने और अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रखी गई है। तथापि, सुरक्षानिधि आदि की गणना उपभोक्ता और एकल उपभोक्ताओं/बहु उपभोक्ता संकुल और आवासीय कॉलोनी के अनुरोध अनुसार वास्तविक भार के आधार पर की जाएगी।

(v) भार की संगणना के उद्देश्य से आवासीय बहु–उपभोक्ता संकुलों के प्रकरण में एकल उपभोक्ता का निर्मित क्षेत्रफल विचार में लिया जाएगा, जबकि गैर आवासीय बहु–उपभोक्ता संकुलों के प्रकरण में संकुल का सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल विचार में लिया जाएगा। तथापि, आवेदक अपनी आवश्यकता के आधार पर चाहे तो संगणित भार से अधिक हेतु आवेदन कर सकेगा और ऐसे प्रकरणों में मांगे गए भार के लिए अधोसंरचना विकसित करनी होगी।

5. मूल संहिता का खण्ड 4.52 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

'' बहु उपभोक्त संकुल और आवासीय कालोनियों को प्रदाय : विशेष दशाएं:

(i) किसी भवन अथवा भवनो का कोई समूह जिसमे सामान्यतः एक या एक से अधिक संयोजन की आवश्यकता होती है और जिसे इस संहिता के खण्ड 4. 51 के अनुसार 50 किलोवाट या उससे ऊपर के कुल भार हेतु मूल्यांकित किया गया है, उसे विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से बहु उपाभोक्ता संकुल माना जायेगा। किसी बहु उपभोक्ता संकुल मे आवासीय, गैर आवासीय और

वाणिज्यिक संकुल, आवासीय कालोनी, कार्यालय संकुल, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान आदि सम्मिलित है।

(ii) किसी बहु उपभोक्ता संकुल में प्रदाय की व्यवस्था समुचित क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर से की जायेगी जो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर 100 के.व्ही.ए. से कम न होगा। उच्चतर क्षमता के मामले में वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता 200 के.व्ही.ए. अथवा 315 के.व्ही.ए. की होनी चाहिए, जिसका उपयोग सामान्यत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है।

(iii) बाहरी विद्युतीकरण जैसे 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार, कालोनी के भीतर वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र लगाना और निम्न दाब लाइनो/केबलो का बिछाना ऐसे विकासकर्ता/निर्माता/आवासीय सोसायटी/उपभोक्ता समूह/उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। जो अपने व्यय पर संयोजन के लिए आवेदन करते है।

(iv) यदि आवेदक इन्डोर ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र का निर्माण करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा बशर्ते ऐसा ट्रांसफार्मर शुष्क प्रकार का होने के साथ–साथ ऊर्जा की बचत करने वाला हो और प्रचलित नियमो एवं विनियमो का यथावांछित अनुपालन किया जाय। ऐसे प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी की ओवर हेडलाईन को इन्डोर ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज टर्मिनल से जोड़ने हेतु आवश्यक केबल आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

यदि कोई आवेदक उपकेन्द्र या वितरण ट्रांसफार्मर से आगे 11 के.व्ही. और/अथवा निम्नदाब लाईन भूमिगत केबल के माध्यम से कालोनी मे लगाना चाहता है तो उसे वैसा करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते भारतीय सुसंगत मानको का अनुपालन किया जाय। आवेदक द्वारा स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर की कोई क्षमता 100 के.व्ही.ए. या 200 के.व्ही.ए. या 315 के.व्ही.ए. होनी चाहिए जिसका उपयोग सामान्यत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है और इसका संपूर्ण व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

(v) यदि कालोनी/बहुउपभोक्ता संकुल का भार '

क) 1500 किलो वाट से कम है तो आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अनुसार प्रणाली मजबूती करण प्रभार का भूगतान करेगा। जब तक इन प्रभारो को आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, तब तक अनुज्ञप्तिधारी रू. 4500/– प्रति के. डब्ल्यू. की दर से प्रणाली मजबूतीकरण प्रभार वसूल करेगा। कालोनी क्षेत्र के बाहर 11 के.व्ही.के लाईन को 2 कि.मी. तक विस्तारित करने की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी और 2 कि.मी. से आगे आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

ख) 1500 के.डब्ल्यू. से अधिक है किन्तु खण्ड 4.51 के अनुसार 5550 के. डब्ल्यू. से अनाधिक निर्धारित की गई है वहां आवेदक 40x30 मीटर से अन्यून पैमाइश की आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगा और 5550 के. डब्ल्यू. से उपर 10000 के.डब्ल्यू. तक के लिए 50x40 मीटर पैमाइश की आवश्यक भूमि रू. 1/– के सांकेतिक प्रीमियम पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण करने के लिए उपलबध करायेगा। उपकेन्द्र के स्थल का निश्चय उस क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा आवेदक के परामर्श से किया जायेगा। आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अनुसार प्रणाली मजबूती करण प्रभारो का भूगतान करेगा। जब तक ऐसे प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित नही कर दिये जाते, अनुज्ञप्तिधारी रू. 4500/– प्रति के.डब्ल्यू. की दर से प्रणाली मजबूती करण प्रभार वसूल करेगा। 33 के.व्ही.के लाईन को 3 कि.मी. तक विस्तारित करने की लागत, 5550 के.डब्ल्यू. तक और 5550 के.डब्ल्यू. से 10000 के.डब्ल्यू. तक 5 कि.मी. के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी और इस सीमा से आगे आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

(vi) यदि किसी भवन अथवा भवनो के समूह जिसे बहुउपभोक्ता संकुल अथवा हाउसिंग कालोनी की श्रेणी में रखा गया है, अतिरिक्त निर्माण अथवा भार

की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण और जिस बहुउपभोक्ता संकुल/आवासीय कालोनी का कुल भार समस्त फेज सहित (वर्तमान में और प्रस्तावित)'

क) 1500 के.डब्ल्यू. से कम है, तो मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मर के विस्तार, अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर/वर्तमान वितरण ट्रांसफार्मर मे वृद्धी की लागत आवेदक (आवेदको द्वारा वहन की जायेगी)। इसके अलावा आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अुनसार प्रणाली मजबूती करण प्रभारो का भूगतान करेगा। जब तक ऐसे प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिये जाते, अनुज्ञप्तिधारी रू. 4500/– प्रति के.डब्ल्यू. के दर से अतिरिक्त भार हेतु प्रणाली मजबूतीकरण प्रभार वसूल करेगा।

ख) 1500 के.डब्ल्यू. से अधिक है किन्तु खण्ड 4.51 के अनुसार 5550 के. डब्ल्यू. से अनधिक निर्धारित की गई है वहां आवेदक 40x30 मीटर से अन्यून पैमाइश की आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगा और 5550 के. डब्ल्यू. से उपर 10000 के.डब्ल्यू. तक के लिए 50x40 मीटर पैमाइश की आवश्यक भूमि रू. 1/– के सांकेतिक प्रीमियम पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण करने के लिए उपलबध करायेगा। उपकेन्द्र के स्थल का निश्चय उस क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा आवेदक के परामर्श से किया जायेगा। आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अनुसार प्रणाली मजबूती करण प्रभारो का भूगतान करेगा। जब तक ऐसे प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित नही कर दिये जाते, अनुज्ञप्तिधारी रू. 4500/– प्रति के.डब्ल्यू. की दर से प्रणाली मजबूती करण प्रभार वसूल करेगा। 33 के.व्ही.के लाईन को 3 कि.मी. तक विस्तारित करने की लागत, 5550 के.डब्ल्यू. तक और 5550 के.डब्ल्यू. से 10000 के.डब्ल्यू. तक 5 कि.मी. के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी और इस सीमा से आगे आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

कालोनी क्षेत्र के भीतर लाईन के विस्तार/वितरण ट्रांसफार्मर/वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धी की लागत संबंधित आवेदक (आवेदको द्वारा) वहन की जायेगी।

(vii) किसी बहु उपभोक्ता संकुल और आवासीय कालोनी के लिए खण्ड 4.51 के अनुसार यदि निर्धारित भार 10000 के.डब्ल्यू. से अधिक है, तो ऐसे संकुल/कालोनी में विद्युत आपूर्ति की औपचारिकिताएं अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर प्रकरण वार आधार पर निर्धारित की जायेगी।''

6. **मूल संहिता के खण्ड 4.56 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः–**

''स्टोन क्रशर को छोड़कर 25 हार्सपावर तक लघु/कुटीर उद्योग को प्रदाय – नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधानः

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 25 हार्सपावर भार तक लघु/कुटीर उद्योगो को आयोग द्वारा विविध और सामान्य प्रभारो में यथा अनुमोदित प्रदाय वहन प्रभारो के भुगतान पर संयोजन उपलबध कराये जाएंगे। जब तक आयोग द्वारा इन प्रभारो का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, अनुज्ञप्तिधारी रु. 2000/– प्रति हार्सपावर की दर से प्रदाय वहन प्रभार वसूल करेगा। यह प्रदाय वहन प्रभार प्रति हार्सपावर आधार पर लघु/कुटीर उद्योग उपभोक्ता द्वारा भूगतान योग्य होंगे भले ही किसी विस्तार की आवश्यकता हो अथवा नहीं। आवश्यक होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नगरीय क्षेत्र में 0.5 कि.मी. और ग्रामीण क्षेत्र में 1 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन/निम्नदाब लाईन भी उपलब्ध करायी जायेगी। नगरीय क्षेत्र में 0.5 कि.मी. और ग्रामीण क्षेत्र में 1 कि.मी. से अधिक की लाईन की लागत आवेदक (आवेदको) से वसूल की जायेगी।''

7. **मूल संहिता का खण्ड 6.4 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''सुरक्षा निक्षेप इस संहिता के खण्ड 6.4 के अनुसार मूल्यांकित खपत के आधार पर निश्चित किया जायेगा और विशिष्ट दिनों की अनुमानित खपत के समतुल्य राशि का प्रचलित दर और अन्य प्रभारो को लागू करते हुए निम्नांकित तालिका में दर्शाए अनुसार होगाः

सं.क्रं.	**उपभोक्ता की प्रकृति**	**दिनो की संख्या**
1.	कृषि	
	क. स्थायी	90
	ख. अस्थायी	अस्थायी संयोजन की संपूर्ण अवधि के लिए, 90 दिवस की अधिकतम सीमा मे रहते हुए
2.	स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लान्ट	90
3.	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के वैध आधिपत्य का प्रमाण उपलब्ध कराने में असमर्थ है	90
4.	अन्य उपभोक्ता	60''

8. **मूल संहिता का खण्ड 6.9 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता से ली गई सुरक्षानिधि की राशि का पुनरीक्षण, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान उसकी वार्षिक खपत के आधार पर किया जयेगा। इस पुनरीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी औसत खपत के समतुल्य सुरक्षानिधि की राशि का निर्धारण संहिता के खण्ड 6.5 में उल्लिखित उस अवधि हेतु प्रयोज्य दर (टैरिफ) के अनुसार करेगा। यदि पुनरीक्षण पर, निम्नदाब के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित सुरक्षा निधि की राशि में +/- 20 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन (वृद्धि या कमी) होता है और उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में रु. 10,000/– से अधिक का परिवर्तन होता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक मांग अथवा वापसी की जायेगी।''

9. **मूल संहिता का खण्ड 6.10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''परंतु आधिक्य सुरक्षानिधि की वापसी के प्रकरण में उपभोक्ता के लेखे इस राशि को सामायोजन के माध्यम से उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयको में सामायोजन के माध्यम से क्रेडिट कर दिया जायेगा। यदि ऐसे सामायोजन के पश्चात भी कोई राशि शेष रहती है तो उसकी वापसी उपभोक्ता को 30 दिवस के भीतर नगद कर दी जायेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 6.20 में यथा परिभाषित ब्याज के भूगतान हेतु दायित्वाधीन होगा।''

10. **मूल संहिता का खण्ड 6.11 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''6.11 ऐसे प्रकरण मे जिन उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया है वहां अतिरिक्त सुरक्षानिधि वैसे अतिरिक्त भार के लिये उसी प्रकार संगणित की जायेगी जैसे किसी नये संयोजन हेतु की जाती है। इसी प्रकार यदि संविदा मांग घट जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षानिधि की पुनः गणना करेगा और अतिरिक्त सुरक्षानिधि, यदि कोई हो तो उसे उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयको में समायोजन के माध्यम से क्रेडिट करेगा। यदि ऐसे समायोजन के बाद कोई राशि बच रहती है तो उसे उपभोक्ता को 30 दिवस के भीतर नगद वापस किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 6.20 में यथा परिभाषित ब्याज के भूगतान हेतु दायित्वाधीन होगा।''

11. **मूल संहिता का खण्ड 7.2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''7.2 संविदा मांग उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर किये गये अनुबंध के अनुसार और उपभोक्ता के प्रतिस्ठापन की आवश्यकता को देखते हुए होगी और संयोजित भार से स्वतंत्र रहेगी।

अनुज्ञप्तिधारी से नवीन उच्चदाब/अति उच्चदाब संयोजन लेने के लिए कोई आवेदक वांछित संविदा मांग को चरणोबद्ध रूप से भी, निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन ले सकेगाः–

(i) 02 वर्ष से आगे की किसी अवधि के लिए किसी चरणबद्धता (फेजिंग) की अनुमति नही दी जायेगी।

(ii) भार के अंतिम चरण को विमुक्त करने के पश्चात अनुबंध अवधि 02 वर्ष की होगी।

(iii) उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के अधिकतम 03 चरणो का लाभ लिया जा सकता है।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित प्रदाय अनुबंध के अंतर्गत एक बार स्वीकृत चरणबद्धता की योजना को उसके उपरांत परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।''

12. **मूल संहिता का खण्ड 7.7 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''यदि प्रणाली में मीटरे प्रबंध सहित कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो, तो बढ़े हुए भार को वैसी दिनांक से विमुक्त किया जायेगा जिसका उल्लेख पूरक अनुबंध में किया गया है अथवा उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, जो भी पहले हो किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् 15 दिवस के भीतर मीटरे प्रबंध, यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित कर दिये जायेंगे और अतिरिक्त प्रदाय विमुक्त किया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता है तो खण्ड 7.8 मे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।''

13. **मूल संहिता का खण्ड 7.11 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''भार/संविदा मांग कम करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित चरणो मे कार्यवाही की जायेगीः–

क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन में उल्लिखित आधारो का परीक्षण किया जायेगा, उनका सत्यापन किया जायेगा और अपना निर्णय आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर सूचित कर दिया जायेगा। कोई उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह अपनी शिकायतो के निवारण के लिए अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 42 (5) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। कोई उपभोक्ता जो धारा 42(5) के अधीन उसकी शिकायत के निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायतों के निवारण हेतु अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन नियुक्त अथवा आयोग द्वारा पदांकित विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन दे सकेगा, जिसका निर्णय किसी विधि के अंतर्गत उपलबध उपचार के अध्याधीन अंतिम होगा।

परंतु उच्चदाब और अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए, जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपना निर्णय आवेदन प्राप्ति की दिनांक से तीस दिवस के भीतर आवेदन पर कोई निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है वहां स्वीकृति दी गयी मान ली जायेगी।

ख) निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भार मे कमी की स्वीकृति के लिए संसूचित निर्णय की प्राप्ति के पश्चात् वह अपने भार को कम कर देगा और

किसी अधिकृत लाईसेंसी विद्युत ठेकेदार की ओर से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। इसके पश्चात् नगरीय क्षेत्र के प्रकरण में 02 दिवस के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण में 05 दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण की व्यवस्था करेगा तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नदाब उपभोक्ता के साथ एक पूरक अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। भार में कमी उस माह के बाद वाले बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगी जिसमें पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया है।

ग) उच्चदाब और अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में बिलिंग उस बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होगी, जिसमें आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस पूरे हो जाते है।

ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता संविदा मांग में कमी का विकल्प किसी बाद की दिनांक से चुनता है जो आवेदन की दिनांक से 30 दिवस से अधिक है, तो बिलिंग उस बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगी जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

आवेदक और अनुज्ञप्तिधारी संविदा मांग में कमी के पूरक अनुबंध का अनुपालन स्वीकृति की दिनांक से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेंगे। यदि आवेदक निश्चित अवधि के भीतर पूरक अनुबंध के निष्पादन में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी संविदा मांग में कमी के लिए स्वीकृति को निरस्त कर सकेगा।''

14. **मूल संहिता के खण्ड 7.15 के उपखण्ड (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

''(vi) उपभोक्ता को उच्चदाब संयोजन के लिए नवीन अनुबंध परियुक्त बिंदुओ को सम्मिलित करते हुए, निष्पादित करना होगा।''

15. **मूल संहिता के खण्ड 7.16 के ऊपर शीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जाये:–**

''उच्चदाब संयोजन (11 के.व्ही./33 के.वहीं.) से निम्नदाब संयोजन में परिवर्तन''

16. **मूल संहिता के खण्ड 7.16 के उपखण्ड (vii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''(vii) उपर्युक्त बिंदुओ को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता द्वारा नवीन निम्नदाब अनुबंध किया जायेगा।''

17. **मूल संहिता के खण्ड 7.31 के ऊपर शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''7.31 प्रारंभिक अनुबंध की 02 वर्ष की अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प एक बार दिया जा सकेगा उपभोक्ता को ऐसे विकल्प की अनुमति उस माह में जिसमे ऐसा अनुरोध किया गया हो के बाद बिलिंग माह के प्रथम दिवस से अथवा किसी अन्य बाद के माह से दी जा सकेगी, जैसी कि अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षण/सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाय। बिलिंग में टैरिफ श्रेणी के परिवर्तन को वास्तविक रूप से प्रभावशील, पूरक अनुबंध को अंतिम रूप दिये जाने के उपरांत और मीटरो की प्रोग्रामिंग में परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) संहिता के खण्ड 7.5 में उल्लिखित शर्त के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा।''

18. **मूल संहिता के खण्ड 11.39 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''विद्युत की चोरी के प्रकरण में खपत के निर्धारण हेतु पद्धतिः

निर्धारित यूनिट = L x D x H x F

जहां L = किलोवाट में भार (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसरो में पाया–गया संयोजित भार)

D = निर्धारण की अवधि दिनों में

H = घंटे

(i) औद्योगिक और गैर घरेलू भारो को छोड़कर सभी भारो के लिए

H = 24

(ii) औद्योगिक और गैर घरेलू भारो के लिए

संबंधित उद्योग गैर घरेलू भार के सामान्य कामकाज के आधार पर H का निर्धारण अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा, किन्तु यह 8 घंटो से कम नहीं होगा,

F = भार कारक जिसे विभिन्न श्रेणियों के उपयोग के लिए निम्नानुसार लिया जायेगाः–

स.क्रं.	**विशिष्टियां**	**भार कारक**
1.	उच्चदाब उद्योग	100%
2.	उच्चदाब संयोजन, उद्योगो के अलावा (आवासीय,सामान्य उद्देश्य,जलकार्य)	75%
3.	निम्नदाब उद्योग	75%
4.	निम्नदाब गैर घरेलू और कृषि संबंधी	50%
5.	निम्नदाब घरेलू	40%
6.	निम्नदाब कृषि	50%
7.	निम्नदाब जल प्रदाय	50%
8.	सड़क बत्ती	50% "

19. **मूल संहिता के खण्ड 12.1, 12.2,12.3 और 12.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**

''उपभोक्ता के प्रतिस्ठापन में विद्युत संयंत्र''

12.1 यदि किसी विद्युत संयंत्र से विद्युत का प्रदाय स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से आशयित है तो ऐसे विद्युत संयंत्र का संचालनकर्ता उसे अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर तभी चला सकेगा जब अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति प्राप्त कर ले।

12.2 जहां ऐसे विद्युत संयंत्र को ऐसे कोई सहमति नही दी गई है वहां वह विद्युत संयंत्र अपने उत्पादन इकाईयों के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपस्करों की व्यवस्था स्वयं करेगा जिसमें उसका विस्तार और वृद्धि सम्मिलित है, जिसे आइसोलेटेड मोड मे संचालित कर सके और ऐसा विद्युत संयंत्र किसी भी दशा में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं संयोजित किया जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी सूचना देकर ऐसे परिसरो में प्रवेश कर सकेगा और यह

सुनिश्चित करने के लिए की किसी भी समय विद्युत संयंत्र उसकी अपनी प्रणाली से संयोजित नही हो रहा है, प्रबंध का निरीक्षण कर सकेगा। यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाये कि विद्युत संयंत्र अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर संचालित हो रहा है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी विद्युत को अपनी प्रणाली से विसंयोजित कर लेगा।

12.3 ऐसे प्रकरण में जहां भार प्रतिष्ठापन का प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली तक किसी विद्युत संयंत्र से अथवा किसी अन्य श्रोत से, बिना अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन से विस्तारित हो जाता है और उससे अनुज्ञप्तिधारी के उपस्कर अथवा मानव जीवन को क्षति पहुंचती है, तो ऐसा विद्युत संयंत्र उसके लिए जिम्मेदार होगा और प्रदाय के विसंयोजन के साथ–साथ, अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य प्रभावित व्यक्ति को कारित समस्त हानियों की विहित रूप से क्षतिपूर्ति करेगा।

12.4 जहां ग्रीड से संयोजकता हेतु सहमति दी जा चुकी है वहां विद्युत संयंत्र द्वारा अपने प्रतिष्ठापन में समुचित बचाव प्रणाली लगाने की व्यवस्था की जायेगी और इसकी समुचित कार्यशीलता को सुनिश्चित किया जायेगा। विद्युत संयंत्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से त्रुटिपूर्ण ढंग से संयोजित न हो जाय। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत संयंत्र और/अथवा इसके भार प्रतिष्ठापन, मशीनरी और उपस्कर को ऐसी संयोजकता के कारण हुई किसी क्षति, अथवा इससे निष्पन्न किन्हीं विपरित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।''

20. **''मूल संहिता के खण्ड 13.20 मे उल्लिखित ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005'' को ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2007'' से प्रतिस्थापित किया जाता है'':–**

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.एन. सिंह)
सचिव